निर्णय ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस.जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 03/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

महेन्द्र कुमार सुलानियां पुत्र श्री विनोद कुमार सुलानिया जाति बैरवा निवासी 46, दया देवी, गार्डन हॉटल शान्ती पैलेस, कालवाड रोड, झोटवाडा, जिला, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री ओम प्रकाश शर्मा आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी, सहायक कलक्टर फागी।
2. विनोद कुमार पुत्र लादूराम सुलानियां
3. मनोज कुमार पुत्र विनोद कुमार सुलानियां

समस्त जाति बैरवा निवासी दया देवी गार्डन, हॉटल शान्ती पैलेस, कालवाड रोड, झोटवाडा जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत सहायक कलक्टर फागी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 53/2021 ब उनवानी महेन्द्र कुमार बनाम विनोद कुमार व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय मे मुन्तकिल किये जाने ।

उपस्थितः-

1. श्री आलोक चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री सुरेश कुमार चाहर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 24.02.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर फागी के समक्ष प्रकरण संख्या 53/2021 ब उनवानी महेन्द्र कुमार बनाम विनोद कुमार व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने मे शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर फागी से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार चाहर उपस्थित है।
3. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के सक्षम पत्रावली मे एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 प्रस्तुत होने के बावजूद भी उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना उक्त प्रकरण को फैसल करने पर आमादा है, जिसके चलते न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में छोटी-छोटी तारीख पेशियां दी जा

जिला कलक्टर
जयपुर

रही है। इसलिए अब प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं रही है। प्रार्थी के कानूनी हक अधिकारों की लिहाज से उक्त पत्रावली को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावे, जिससे प्रार्थीगण को न्याय प्राप्त हो सके । उक्त तथ्यों की ताईद इस प्रकार भी होती है । प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को दिनांक 04.01.2022 व दिनांक 06.01.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 के चेम्बर में आते–जाते भी देखा गया है एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को अप्रार्थी संख्या 1 के साथ बातचीत करते हुये भी देखा गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के प्रभाव में है। इसलिए न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे । जिससे प्रार्थी के हक व अधिकारों की रक्षा हो सके। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने सरासर गलत व मनघडन्त आरोपों के साथ यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी ने प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मन्शा से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। फिर भी यदि मान्य न्यायालय द्वारा अन्यत्र न्यायालय में प्रकरण का स्थानान्तरण किया जाता है, तो एक तारीख निश्चित करके अन्य किसी भी न्यायालय में स्थानान्तरण कर दिया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. चूंकि प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने पर शंका जाहिर की है। न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता भी प्रकरण का अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने पर सहमत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. न्यायालय सहायक कलक्टर फागी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 53/2021 व उनवानी महेन्द्र कुमार बनाम विनोद कुमार व अन्य को न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय में मुन्तकिल किया जाता है।

9. पक्षकारान न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 14.03.2022 को उपस्थित हो। सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय प्रकरण दर्ज कर उभयपक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुनकर निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

10. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा सहायक कलक्टर फागी व सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक 24.02.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

24/02/22

(राजन विशाल)
जिला कलक्टर
जयपुर